



हमीरपुर पुलिस



थाना मौदहा)

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24/2/2021 को वादी अपनी लड़की को चिकित्सालय मौदहा में इलाज हेतु लाए थे जहां पर डॉक्टरों के द्वारा लड़की(उम्र लगभग 17-18 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया गया था। उक्त संदर्भ में वादी मुकदमा द्वारा तहरीर देते हुए अवगत कराया गया था कि दिनांक 22/23 फरवरी की रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा इनके घर में आकर के इनकी लड़की के साथ गलत काम किया तथा इनके साथ मारपीट करते हुए इनको अपने साथ लेकर अतर्रा जनपद बांदा चले गए थे और शाम के समय इनको छोड़ दिया था वापस आने पर उन्होंने देखा कि लड़की की हालत गंभीर है। अगले दिन इनके द्वारा उसे हॉस्पिटल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया इस संबंध में थाना मौदहा पर मुकदमा अपराध संख्या 55/2021 धारा 376 A,342, 323,506 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस गंभीर आरोप की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी मौदहा एवं प्रभारी निरीक्षक मौदहा को तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनाक्रम के अनावरण के संबंध में निर्देशित किया गया था। उपरोक्त घटना की विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि घटना 22 फरवरी की रात्रि 11:00 से 12:00 के मध्य की है तथा उस रात्रि एवं 23 तारीख तथा 24 तारीख की सुबह तक इस प्रकरण की जानकारी संबंधित गांव वालों को एवं पुलिस को नहीं हो पाई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि मृतका के मामा का घर ग्राम तरखरी थाना क्षेत्र नरैनी जनपद बांदा में है मृतका वहीं रहकर पढ़ाई की है इसी दौरान मृतका का संपर्क अतुल तिवारी पुत्र शिव मूरत तिवारी निवासी बड़ेही थाना नरैनी जनपद बांदा से हो गया था दोनों के मध्य मोबाइल से पिछले 10 महीने के अंदर लगभग 2185 बार वार्ता का होना पाया गया घटना की रात में भी वार्ता के क्रम में ही अतुल तिवारी अपने गांव से चलकर मृतका के घर आया था। रात्रि में वादी द्वारा अपने घर में अभियुक्त अतुल तिवारी को मृतका के साथ में गलत काम करते हुए पकड़ा गया था तथा वादी द्वारा पकड़े जाने के उपरांत अतुल के मोबाइल से ही उनके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया था। परिजनों के आने पर मृतका एवं अभियुक्त अतुल तिवारी वहीं पर मौजूद था। वादी मुकदमा अतुल तिवारी के परिजनों से वार्ता के उपरांत उनके साथ अतर्रा बांदा चले गए थे तब तक मृतका स्वास्थ्य थी। दिनांक 23 फरवरी 2021 को दिन में 12:00 बजे के आसपास मृतका की तबीयत खराब हुई तथा उसे बार-बार उल्टी हो रही थी परिजनों द्वारा गांव के डॉक्टर को दिखाया गया जिनके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। शाम के समय मृतका के पिता वापस आ गए थे लेकिन परिजनों के द्वारा बार-बार उल्टी होने के उपरांत भी रात में अस्पताल नहीं दिखाया गया। सुबह लाए जाने पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी प्रकार की बाहरी एवं आंतरिक चोटों का होना नहीं पाया गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने की वजह से केमिकल एनालिसिस के लिए विसरा प्रिजर्व कर दिया गया है विवेचना से अभियुक्त अतुल तिवारी को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

